(30)

क्रम-संख्या—111

रजि0 नं0 एल0डब्लू0/एन0पी0 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

वैशाख 10, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 982/सत्रह-वि-1—1 (क)-10-2001

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2001 के रूप में उद्देश्य और कारण के साथ सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 26 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 में एक नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली

"4—क (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारक प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथाविहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहां कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को प्राप्त करने से इंकार करता है या जमा करने में असफल रहता है, वहां वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज, और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा।

(4) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा उसके परिदान के पश्चात् और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया है, वापस कर दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसी वापसी के लिए किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायगा।

(5) धारा 5 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर निर्धारण नहीं किया जायगा या उससे कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विनिर्माता को भुगतान किए गए कर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

3—(1) जहां किसी व्यक्ति ने विनिर्माता को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान कर दिया हो, वहां विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किए गए कर को ऐसे प्रारम्भ से एक माह के भीतर मूल अधिनियम के अधीन विहित रीति से जमा करेगा और कर निर्धारक अधिकारी को कर एवं उस माल के सम्बन्ध में जिसके लिए उसके द्वारा कर प्राप्त किया गया है, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां कोई विनिर्माता उपधारा (1) के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है, वहां वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए कतिपय माल के प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन कर के संग्रहण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित कर मुख्यतः यह व्यवस्था कर दी जाय कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल पर, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, देय प्रवेश कर का भुगतान यदि विनिर्माता से माल का परिदान राज्य के भीतर प्राप्त किया जाय, विनिर्माता को किया जायगा और ऐसा विनिर्माता कर को प्राप्त करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाय, जमा करेगा।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपयुक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 982 (2)/XVII-V-1—1(KA)-10-2001

Dated Lucknow, April 30, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 2001 alongwith the Statement of Objects and Reasons thereto.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. ACT NO. 13 OF 2001)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 25, 2001.

Insertion of a new section 4-A in U. P. Act no. 12 of 2000

2. *After* section 4 of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Realisation of tax through manufacturer

"4-A. (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person who intends to bring into a local area from any manufacturer within the State, such goods specified in the Schedule as may be notified by the State Government, shall, at the time of taking delivery of the goods from the manufacturer, pay to the manufacturer the tax payable on entry of such goods into the local area and the manufacturer shall receive the tax so paid.

(2) The manufacturer receiving the tax under sub-section (1) shall submit to the assessing authority a return in respect of the goods supplied, and the tax received, by him under sub-section (1) and deposit the tax so received, in such manner and within such time as may be prescribed.

(3) Where any manufacturer refuses to receive, or fails to deposit, the tax under this section he shall be liable to pay the tax alongwith the interest and penalty, if any, payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenue.

(4) Where the assessing authority is satisfied that any goods referred to in sub-section (1) is lost or destroyed after its delivery by the manufacturer and before its entry into the local area, it shall direct that the tax paid in respect of such goods shall be refunded to the person who had paid the tax under sub-section (1) :

Provided that no claim for such refund shall be entertained after the expiry of six months from the date of the loss or destruction of the goods.

(5) The provisions of section 5 shall not apply to a person making payment of the tax under sub-section (1) and such person shall not be assessed, or required to submit a return, under this Act."

Special provision with respect to the tax paid to the manufacturer before the commencement of this Act

3. (1) Where any person has paid to the manufacturer before the commencement of this Act the tax payable under the principal Act, the manufacturer shall within one month from such commencement, deposit the tax so paid in the manner prescribed under the principal Act and shall also submit to the assessing authority a return in respect of the tax and the goods for which the tax has been realised by him.

(2) Where any manufacturer fails to deposit the tax in accordance with sub-setion (1) he shall be liable to pay the tax alongwith interest and penalty, if any, payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenue.

Repeal and Savings

4. (1) The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Tax on Entry of goods Act, 2000 is enacted to provide for the levy and collection of tax on entry of certain goods into a local area for consumption, use or sale therein. With a view to ensuring the collection of tax under the said Act, it was decided to amend the said Act to provide mainly for payment of entry tax, payable on such of the goods specified in the schedule as may be notified by the state Government, to the manufacturer if the delivery of the goods is taken from the manufacturer within the State and such manufacturer shall receive the tax and deposit it in such manner and within such time as may be prescribed.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary, the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Amendment) Ordinance, 2001 (U. P. Ordinance no. 6 of 2001) was promulgated by the Governor on February 26, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 19 सा० विधा०—(195)—2001—850 (मेक०)।